भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 431
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वरिष्ठ नागरिकों के साथ साइबर अपराध

431. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के साथ, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिन्हें फ़ोन कॉल और ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ठगा जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में राज्य`/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे साइबर फ्रॉड के कितने मामले रिपोर्ट हुए;
(ग) इस अवधि में, खासकर उत्तर प्रदेश में, वरिष्ठ नागरिकों को कुल कितना नुकसान हुआ; और
(घ) सरकार द्वारा साइबर अपराध को रोकने और साइबर सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दर्ज साइबर अपराध शिकायतों के संबंध में विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध और वयोवृद्ध जनों के प्रति साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने वयोवृद्ध जनों के प्रति साइबर अपराधों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के

प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vi. सर्ट-इन सतत आधार पर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की रक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों और प्रतिउपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

vii. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) देश में साइबर स्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए साइबर स्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

viii. सर्ट-इन मेलिसियस प्रोग्रामों का पता लगाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) को संचालित करता है और इन्हें हटाने के लिए टूल्स निःशुल्क मुहैया कराता है तथा नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

ix. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान: आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।

4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

5) डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, I**4**C ने **19** जुलाई **2025** से **52** सप्ताह के लिए साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।

6) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा अता. प्र. सं. 431 दिनांक 02.12.2025

वर्ष 2021-2023 के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	952	984	909
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0
3	असम	82	16	0
4	बिहार	1373	1441	2611
5	छत्तीसगढ़	67	42	29
6	गोवा	1	11	0
7	गुजरात	208	108	112
8	हरियाणा	52	44	11
9	हिमाचल प्रदेश	6	9	7
10	झारखंड	79	98	43
11	कर्नाटक	6	0	0
12	केरल	16	26	117
13	मध्य प्रदेश	89	180	91
14	महाराष्ट्र	1678	2202	2075
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	1205	957	1362
20	पंजाब	29	61	25
21	राजस्थान	371	292	84
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	107	251	887
24	तेलंगाना	7003	9581	10626
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	614	766	287
27	उत्तराखण्ड	0	31	18
28	पश्चिम बंगाल	40	30	7
	कुल राज्य	**13980**	**17130**	**19301**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	2	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
32	दिल्ली	19	331	163
33	जम्मू और कश्मीर	8	7	2
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**27**	**340**	**165**
	कुल (अखिल भारत)	**14007**	**17470**	**19466**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।